न्यायालय अपर जिला कलक्टर, फलौदी

पीठासीन अधिकारी श्री गोपालराम बिरड़ा आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं : 21 / 2022

प्रार्थी	अप्रार्थीगण
1 जेठुसिंह पुत्र श्री मूलसिंह उम्र 58 साल जाति– राजपुत निवासी– अजासर	1. श्री ग्राम पंचायत अजासर जरिये सरपंच
2 रुगनाराम पुत्र रामुराम उम्र 60 साल जाति – विश्नोई निवासी अजासर त० बाप जिला– जोधपुर राजस्थान	2. श्री ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत अजासर पंचायत समिति घन्टियाली जिला जोधपुर राजस्थान

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम निरस्त करवाने पट्टा सं0 1 ग्राम पंचायत अजासर मिसल सं0 01 / 2020 दिनांक 23.06.2020

निर्णय

दिनांक: 16.05.2024

अपील का सारांश इस प्रकार है कि यह है कि प्रार्थीगण गाँव अजासर, ग्राम पंचायत अजासर, पचायत समिति घन्टियाली जिला जोधपुर के अरसे से स्थाई निवासी है। गाँव अजासर आबादी भुमि में राजपुत, विश्नोई, मेघवाल सहित अन्य जाति के व्यक्तियों के स्थाई निवास चलें आ रहें है जहाँ गाँव के नागरिक वाशिंदे मय निवास करते आ रहे है, जहाँ ढाणीया, टाँके, गायों की गोयर, पालतु जानवर बाँधनें के सर्फ वगैरा बने हुए है। कई लोगों के पक्के मकान दुकाने भी बनी हुई है। गाँव अजासर में स्थाई रूप से रहने वाले सभी नागरिकों के पास अपने अपने निवास स्थान ढाणी झुपों व पुरानें कब्जा अनुसार चले आ रहे भु–भाग के पट्टे बने हुए नही है पुरानें कदीम काल से कब्जा में चली आ रही भुमि गाँव अजासर मे अजासर मानेवडा रोड के पुर्वी तरफ स्थित शमशान भुमि के पास स्थित है जिसके उत्तर में खानूराम का कब्जा जहाँ उसका टाँका बनाया हुआ है, दक्षिण तरफ शमशान भुमि व भगवतसिह की खातेंदारी भुमि आई हुई है पुर्व मे अन्य लोगो के कब्जे की आबादी भुमि तथा पश्चिम में सडक मानेवडा जाने की गुजरती है। यह पुरा भु–भाग 300X300 फुट का गाँव तालिया की तरह बसा हुआ है जिसमें प्रार्थीगण / निगरानी कर्ता व अन्य लोगो के झुपे, टाँके, गायों की गोयर, पशुओं के सफे वगैरा बने हुए है इस प्रकार से करीब 60 लोगों के कब्जे मे उक्त पुरा भू–भाग चला आ रहा है, इसी भुमि में पूजराजसिह के परिवार की पक्की दुकाने बनी हुई है तथा भु–भाग मे प्रार्थीगण के टाँके बने हुए है जिसका उपयोग व उपभोग प्रार्थीगण लगातार निरन्तर कदीम काल से करतें आ रहें है उक्त भुमि में किसी अन्य का कोई दखल नही रहा है। प्रार्थीगण ने अपने उक्त भुखण्डों के पट्टा बनाने के लिए ग्राम पंचायत को आवेदन भी किये हुए है। नजरी नक्शा सलग्न पेश है। सन् 2019 तक प्रार्थीगण के पुराने कब्जे गाँव अजासर में जो कि रोहिणा ग्राम पंचायत के आधीन आतें थे, उक्त भुमि रोहिणा ग्राम पंचायत के आधीन भुमि रही। सन् 2019 अन्त मे सरकारी आदेशो से रोहिणा ग्राम पंचायत से कट कर नयी पंचायत अजासर बना दी गयी जिससे उक्त भुमि को अजासर ग्राम पंचायत के क्षेत्राकिकार के अन्तर्गत रखा गया तब से लेकर वर्तमान मे यह भुमि ग्राम पंचायत अजासर के क्षेत्राधिकार में आती है। प्रार्थीगण व अन्य कब्जा धारियो की भुमि आज भी कदीम काल से चली आ रहे अनुसार प्रार्थीगण व अन्यों के कब् में उसी पुरानें समय अनुसार चली आ रही है इसी भुमि के एक हिस्से की तरफ तारबन्दी की गयी है इस प्रकार से वास्तविक कब्जा प्रार्थीगण व अन्यों के पास आज भी चला आ [illegible] चली आ रही भुमि कभी भी रिक्त नही रही न ही रिक्त कब्जा रोहिणा ग्राम पंचायत द्वारा [illegible] सुपर्द ही किया गया है ।नये ग्राम पंचायत के सृजन होने से वर्तमान में मौ[illegible] के मन मे जमीनो की किमते बढ जाने से बदयान्ति व्याप्त हो गई, राजनैतिक कारणों से अपने चहेतो को फायदा पहु[illegible] लिए नव सृजित ग्राम पंचायत अजासर द्वारा मन माने तरीके से पहले से प्रार्थीगण व अन्यों के क[illegible] चली आ रही भुमि जो पद सं0 तीन व नजरी नक्शा में दर्शीत की गयी है भुमि पर नव सृजित ग्राम पंचायत अजासर भवन निर्माण करना बताते हुए, खाली भुमि के अभाव में, प्रार्थीगण व अन्यों के कब्जा मे चली आ रही भुमि वालें पडोस अंकित करतें हुए बालें बालें एक पट्टा दिनांक 23 / 06 / 2020 पट्टा सं0 01 मिसल सं0 01 / 2020 बनाना बता दिया है, जबकि इस पट्टे में बताये गये आडोस पडोस के मध्य स्थित भुमि भू–भाग पर कभी भी ग्राम पंचायत रोहिणा या नव सृजित ग्राम पंचायत अजासर का कब्जा नही रहा। यह भूमि आंरभ से ही गाँव वासियों के कब्जा की भुमि रही है जो सर्व विदित है। इसी प्रकार यह

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Ram Birda
Date: 2024.05.25 15:14:09 IST
Reason: SelfAttested

अति० जिला मजिस्ट्रेट
फलौदी (राज.)

गॉव वासियो के कब्जा में होनें की जानकारी भी नव सृजित ग्राग पंचायत का भली भाँति रही है । अप्रार्थी पक्ष ने अपने साथ असामाजिक तत्वों को मिलातें हुए अभी दिनांक 02/07/22 को मौके पर आकर जमीन को खोदने का प्रयास किया तब प्रार्थीगण व गॉव वासियों ने विरोध किया तो सरपंच द्वारा जाहिर किया कि उक्त भुमि ग्राम पंचायत भवन के लिए आरक्षित कर दी गयी है। उस समय गाँव वालों व कब्जा पुरानें कदीम काल से चलें आ रहें कब्जा धारियों ने विरोध किया तो उस समय तो काम वन्द कर दिया परन्तु एलानिया कह दिया कि पद सं. तीन मे वर्णीत भुमि पर से प्रार्थीग्ण व अन्यों के टाके, झुपें, तारबन्दी वगैरा सभी हटा कर ही रहेगें । प्रार्थीगण को उनके कब्जा मे चली आ रही पडोस नाप की उक्त भुमि पर पट्टा बनाये जाने की जानकारी होने पर पुरी प्रार्थीगण ने उसी रोज पट्टा कॉपी लेने के आवेदन पेश किये अब पुरी जानकारी होनें पर व कॉपी पट्टा प्राप्त होनें पर उक्त पट्टा सं0 01 मिसल सं० 01/2020 दिनांक 23.06.2020 को निरस्त करवाने के लिए निगरानी निम्न वजुहात पर पेश है। जिस स्थान पर, जिस भुमि पर, नव सृजित ग्राम पंचायत अजासर द्वारा स्वयं के पक्ष में पट्टा जारी करना बताया जा रहा है उस भूमि पर आरम्भ से ही प्रार्थीगण व अन्य व्यक्तियों के कदीम काल से लगातार निरन्तर कब्जे चले आ रहें है। नव सृजित ग्राम पंचायत को रोहिणा ग्राम पंचायत से उक्त भूमि का रिक्त कब्जा कभी भी हस्तान्तरण नही किया गया । न ही उक्त भूमि कभी भी रिक्त भुमि ही रही है ऐसे में नव सृजित ग्राम पंचायत अजासर के पदाधिकारियों को पुरानें कदीम काल से स्थापित कब्जा धारियों को बिना सुने बालें बालें अपने ही नाम से पट्टा जारी करने के कोई अधिकार नही रहतें है। अप्रार्थीगण सं० एक 1 द्वारा समस्त कार्यवाही फर्जी दस्तावेजो से तैयार कर, गलत नाप पेमाइस बतातें हुए, गलत तरीके से विधिवत् प्रोसेडिंग किये बिना पट्टा बना कर, वादग्रस्त स्थल पर पडोस नाप में फिट किया जा रहा है जो फर्जी/मिलावटी तौर पर तैयार मिसल के आधार पर बिना वास्तविक भुमि के जारी पट्टा होने से निरस्त फरमाया जावे। विवादित पट्टा विधि विरूध, सरपंच के अधिकारों के परें जाकर जार किया मौके पर कोई जगह ही खाली नही थी तो नव सृर्जित ग्राम पंचायत द्वारा मौका तस्दीक करने की कार्यवाही मौके पर नही होना अपने आप में साबित हो जाती है, इस प्रकार तथाकथित तौर पर बताया जा रहा पट्टा बनावटी है। नव सृर्जित ग्राम पंचायत अजासर द्वारा जारी पट्टा सं0 1 मिसल सं0 01/2020, दिनांक 23.06.2020 विधि विरूध रूप से, बिना अधिकारों के, मौके पर पहलें से कदीम कब्जें होनें, भुमि रिक्त नही होने से जारी पट्टा दस्तावेज को निरस्त फरमावे।

अपीलाण्ट द्वारा पेश अपील को जांच उपरान्त दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेण्ट की तलवी हेतु नोटिस जारी कर तामील हेतु भेजे गये। रेस्पोडेण्ट की ओर से दस्तावेज पेश किये गये। जो सामिल मिसल किये गये। पत्रावली वहस में रखी गई ग्राम अजासर पूर्व में ग्राम पंचायत रोहिणा का राजस्व ग्राम था वर्तमान में नई पंचायत अजासर सर्जित होने से अजासर ग्राम पंचायत द्वारा मिसल सं0 1/2020 दिनांक 23.06.2020 को उक्त वादग्रास्त पट्टा बनाया गया जिस जगह का पट्टा तैयार किया गया है। उस जगह पर पूर्व से ही ग्राम अजासर के निवासी काबिज थे। जो तथ्य ग्राम पंचायत अजासर द्वारा समय समय पर काविज लोगो को दिये गये नाटिस से प्रमाणित है। उक्त पत्रावली में तहसीलदार घंटियाली के द्वारा तैयार की गई मौका फर्द भी पेश है। मौका फर्द अनुसार जिस जगह का पट्टा जारी किया गया था उस जगह पर रहवासिय घर पानी के टाके पशुओं के लिए बाडे आदि बने हुए है। उक्त ग्रांम वाशी पुराने समय से काविज है नियमनुसार खाली जगह पर ही पट्टा दिया जा सकता है। जिससे ग्राम वासियो को किसी प्रकार की परेशानियो का सामना नही करना पडे। इसलिए उक्त पट्टा कब्जे के अभाव में खारिज किया जाता है।

Signature Not Verified

आदेश

Digitally signed by Gopal Ram Birda
Date: 2024.05.25 15:14:09 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पंचायत निगरानी स्वीकार की [illegible] पंचायत अजासर द्वारा अपने पक्ष में जारी किये गये मिसल सं0 1/2020 [illegible] को विधि विरूद्व होने एवं कब्जे के अभाव में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसल शुमार होकर न[illegible] से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 16.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गो[illegible]